न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमूँ जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या....01...../2021

तहसीलदार चौमूँ बनाम जगदीश वगैरह

अन्तर्गत धारा 131,132 एल0 आर0 एक्ट 1956

निर्णय दिनांक..15/1/21

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार चौमूँ के पत्र क्रमांक भू0अ0/2021/142 दिनांक 11.01.2021 ने रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतू ग्राम खेजरोली बी तहसील चौमूँ के खसरा न0 2399 रकबा 0.25 है0 में से 0.02 है0, ख.न. 2400/9272 रकबा 0.07 है0 में से 0.0050 है0, ख.न. 2400 रकबा 0.18 है0 में से ख.न. 0.0140 है0, ख.न. 2405 रकबा 0.36 है0 में से 0.0200 है0 खातेदारी भूमि में मौके पर रास्ते के रूप में काम आने से राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज करने हेतू प्रकरण अन्तर्गत धारा 131,132 एल0 आर0 एक्ट 1956 के तहत पेश किया गया है। तहसीलदार चौमूँ की रिपोर्ट के आधार प्रकरण अन्तर्गत धारा 131,132 एल0 आर0 एक्ट 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे यह साबित होना पाया गया कि उक्त प्रस्तावित रास्ता मौंके पर चालू रास्ता होना साबित होता है।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित आराजी में से होकर मौके पर रास्ता चालू होना बताया है संलग्न प्रस्तुत खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या 16 में रास्ता लिखा हुआ है इससे स्पष्ट है कि मौके पर प्रस्तावित भूमि रास्ते के ही काम आ रही है। साथ ही तहसीलदार चौमूँ की रिपोर्ट में रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा की है।

अतः ग्राम खेजरोली बी चौमूँ के खसरा न0 2399 रकबा 0.25 है0 में से 0.02 है0, 2400/9272 रकबा 0.07 में से 0.0050 है0, 2400 रकबा 0.18 है0 में से 0.0140 है0, 2405 रकबा 0.36 है0 में से 0.0200 है0 खातेदारी भूमि में संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार गै0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन करने हेतू तहसीलदार चौमूँ को आदेश जारी हो। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/01/2021 को सरे इजलास में सुनाया गया।

15/01/2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.02.08 17:43:38 IST
Reason: SelfAttested

अभिषेक सुराना IAS
उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ-जयपुर

Scanned with CamScanner